देश में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास एवं संवर्धन के लिये इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0)का प्रस्ताव

आई0आई0ए0– संक्षेप परिचय : इण्डियन इण्डस्टीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्वयोगो का देश में प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी एसोसिएशन है। आई0आई0ए0 राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बोर्ड आफ एम0एस0एम0ई0 का सदस्य है और पूर्व में प्रधानमंत्री द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये गठित टास्क फोर्स का सदस्य रहा है एवं प्लानिंग कमीशन भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न कार्यदलों का भी सदस्य रहा है। राज्य स्तर पर आई0आई0ए0 सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो से सम्बन्धित सभी परामर्श कमेटीयों, कार्यदलों इत्यादि का सदस्य है। आई0आई0ए0 वर्ष 1985 से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो की भलाई एवं उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये निरन्तर कार्य कर रहा है। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिये सक्रीय रूप से कार्य करने का नतीजा ही है कि उत्तर प्रदेश एवं नजदीकी राज्यों में आई0आई0ए0 के 6000 से अधिक एम0एस0एम0ई0 सदस्य है।

सुक्ष्म,लघु एवं मध्यम सेक्टर का संक्षिप्त परिचय एवं इसका योगदान : सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेक्टर देश की अर्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सतम्भ है, देश में स्थित 2.61 करोड़ से अधिक सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनमें 75 लाख से अधिक मेन्यूफैक्चरिंग इकाईयॉ है देश की कुल मेन्यूफैक्चरिंग आउटपुट में 45 प्रतिशत, कुल निर्यात में 40 प्रतिशत तथा जी0डी0पी0 में 8 प्रतिशत का हिस्सा रखते है। यह सेक्टर देश के 6 करोड़ से अधिक लोगो को सीधा रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि देश की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या { [2.61 करोड़ एम0एस0एम0ई0 + 6 करोड़ कर्मचारी] × 4.5 व्यक्ति प्रति परिवार = 38.745 करोड़ जनसंख्या } इस सेक्टर पर सीधे निर्भर करती है। यह सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर ही था जिसने विगत में विश्व स्तर पर आई आर्थिक मंदी के असर से बचाया था और यदि इस सेक्टर पर ध्यान केन्द्रीत किया जाता है तो आने वाले समय में भी यह सेक्टर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाये रखेगा। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिये विगत में अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है, अधिनियम भी बनाये गये है, आदेश एवं गाईड लाइन्स भी जारी की गई है परन्तु इनका पूर्ण रूप से कियान्वयन नही हो पा रहा है। अतः सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के विकास एवं संवर्धन के लिये अभी अनेक उपायो को करने की आवश्यकता है।

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो की देश में वर्तमान स्थिति एवं उनकी कठिनाईयॉः सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान एवं उनके विकास की अपार सम्भावनाओं के विपरीत इस सेक्टर को अनेक कठिनाईयो एवं बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :–

1. अत्यधिक जटिल श्रम कानून जिसके कारण सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी आज भी इन्सपैक्टर राज के शिकार है।
2. समय पर एवं सही मात्रा में ऋण की अनुउपलब्धता। इसके अतिरिक्त जो माल सप्लाई किया जाता है उसकी पेमेन्ट समय पर न मिलना। यद्यपि एम0एस0एम0ई0 डब्लपमेन्ट एक्ट में डिलेड पेमेन्ट के लिये प्रावधान है परन्तु उसका कियान्वयन सही नही हो रहा है।
3. यदि किसी कारणवश एम0एस0एम0ई0 उद्यमी का कारोवार सही न चल पा रहा हो और वे कारण उसके कन्टोल से बाहर हो, ऐसी स्थिति में उद्यम बीमार हो जाता है जिसके लिये उद्यमी को सहायता की आवश्यकता होती है। परन्तु यह सहायता उसे नही मिल पाती और उद्यम अक्सर बन्द हो जाते है। उद्यम बन्द होने पर भी उद्यमी को आसानी से मुक्ति नही मिलती और उसका पूरा जीवन इसी उल्झन में नष्ट हो जाता है।

4. बहुत लम्बे समय से अवस्थापनाओं की कमी, टैक्नॉलाजी का आभाव एवं दक्ष कर्मचारियों की अनुउपलब्धता एम0एस0एम0ई0 सेक्टर की समस्याये रही है। आज एम0एस0एम0ई0 वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है अतः इन कमियों के चलते एम0एस0एम0ई0 को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में जिन्दा रहना बहुत कठिन है।
5. सरकार द्वारा उद्योगो में कार्यरत कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा कानून यथा ई0एस0आई0 एवं ई0पी0एफ0 इत्यादि बनाये है परन्तु उद्योगो में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी इनका लाभ नही उठा पा रहे है। यह भी उल्लेखनीय है कि सुक्ष्म एवं लघु उद्यमी जिसने अपनी सारी पूजी एवं सम्पत्ति अपने उद्यम में लगा दी होती है उसकी भी कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नही है।
6. एम0एस0एम0ई0 में लगभग सभी इनपुट्स की लागत बैंक ब्याज सहित बड़े उद्योगो अथवा देश के बाहर स्थित उनके प्रतिर्स्पधियों से बहुत अधिक है। अतः ऐसी स्थित में एम0एस0एम0ई0 उद्यमी को प्रतिस्पर्धा में बने रहना कठिन है।
7. पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान और लघु उद्यमियों के बच्चे एम0एस0एम0ई0 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने के लिये उत्साहित नही है क्योकि वे इस सेक्टर में व्याप्त परेशानियो को देख रहे हैं। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।
8. एम0एस0एम0ई0 पर लागू अनेक अधिनियम ऐसे है जिनमें उद्यमी को जेल भेजने के प्रावधान है हालॉकि बहुत कम उद्यमी ऐसे होगे जो जानबूझकर नियमो का उल्लंघन करते है। यदि किसी नियम का उल्लंघन होता भी है तो उद्यमी को जेल भेजने से लाभ कम और उद्यमी की हयूमिलिएशन अधिक होती है। अतः इस सेक्टर में काम करना उद्यमी के लिये जोखिम भरा है।
9. जटिल कर प्रणाली एवं विभिन्न राज्यों मे भिन्न कर की दरें बिजनस में अनेक बाधॉए उत्पन्न कर रही है। वैट प्रणाली देश में इस प्रयोजन से लागू की गई थी कि टैक्स की मल्टीप्लीसिटी कम की जाये और सभी राज्यों में कर की दरे समान हो परन्तु ऐसा नही हो पाया।

<u>सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो की कठिनाइयो एवं बाधाओ को दूर करने के लिये सम्भावित समाधान के लिये कुछ बिन्दुः</u>

1. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर लागू श्रम कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सरलीकरण।
2. एम0एस0एम0ई0 डब्लपमेन्ट एक्ट 2006 में प्रदत्त डिलेड पेमेन्ट के प्रावधानों का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।
4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये कारगर पुनर्वासन एवं एक्जिट पॉलिसी का क्रियान्वयन।
5. अलग–अलग प्रमाण –पत्रों, अनापत्तियों एवं स्वीकृतियों इत्यादि की बाध्यता को कम कर एम0एस0एम0ई0 के लिये केवल एक प्रमाण–पत्र लागू करना।
6. भारत सरकार द्वारा घोषित पब्लिक प्रक्योरमेन्ट पॉलिसी का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और मैन्युॅफैक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्र के सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये अलग–अलग कोटा निर्धारित करना।
7. जी0एस0टी0 को शीघ्र लागू करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी राज्यों में कर की दरें समान हो। आई0आई0ए0 इस प्रणाली में टैक्स की एक ही दर को रखने की संस्तुति करता है।
8. सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना जिससे व्यक्तिगत सम्पर्क की कम से कम आवश्यकता हो और भ्रष्टाचार कम किया जा सके।
9. पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिये पॉल्यूशन कंटोल बोर्ड अथवा अन्य सरकारी मशीनरी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा उसके बाहर कॉमन एफल्यूएण्ट ट्रिटमेन्ट प्लॉट की स्थापना किया जाना जिससे उद्यमी एवं अन्य किसी भी नागरिक को अलग ई0टी0पी0 न लगाना पड़े। अलबत्ता उद्यमी /नागरिक से कॉमन एफल्यूएण्ट ट्रिटमेन्ट प्लॉट के उपयोग हेतु यूजर चार्जेज लिये जा सकते है।

10. लेबर इन्टैन्शिव एम0एस0एम0ई0 मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगो को स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन योजनाए लागू करना।
11. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिये इन्कयूवेशन सुविधाये अधिक मात्रा में और अधिक गुणवत्ता परख सृजित करने की आवश्यकता है। इस कार्य में एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो का भी सहयोग लिया जाना उचित होगा।
12. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सभी एम0एस0एम0ई0 विकास संस्थानों की गर्वनिंग बॉडीज मे एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों को प्रतिनिधित्व दिया जाना लाभकारी होगा।
13. राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनियो में भाग लेने एवं अंतराष्ट्रीय औद्योगिक मेलो में विजनेश डेलीगेशनो के भ्रमण के लिये वर्तमान में चालू मार्केट डब्लपमेन्ट एसिसटेन्स के लिये अधिक धन की व्यवस्था करना।
14. एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो की कैपसिटी बिल्डिंग के लिये सहायता प्रदान करना।
15. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के विरूद्व गलत निर्णय/कार्यवाही करने वाले सरकारी अधिकारियों की जबावदेही सुनिश्चित करना।
16. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिये डिस्प्ले सेन्टर तथा एक्जिविशन सुविधाये सृजित करने के लिये एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों को सहायता प्रदान करना।
17. मनरेगा स्किम को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में रोजगार हेतु विस्तारित करना।
18. सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो के लिये प्रयाप्त अवस्थापना सुविधाये एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराना।

उपरोक्त बिन्दुओ पर विस्तृत प्रस्ताव एवं सुझाव निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है :

1. **श्रम कानूनों का सरलीकरण :**

(क) 4 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों को लागू करना : वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री द्वारा गठित एम0एस0एम0ई0 टास्क फोर्स का आई0आई0ए0 सदस्य था तथा आई0आई0ए0 ने अनेक सुझाव टास्क फोर्स में रखे थे। इन सुझावों में से अधिकतर टास्क फोर्स की अन्तिम संस्तुतियों में शामिल किया गया था। जिनमे से एक श्रम कानूनों के सरलीकरण के बारे में था। टास्क फोर्स की श्रम एवं रोजगार से सम्बन्धित निम्नलिखित संस्तुतियॉ अभी लागू नही की गई है :

• लेवर एवं रोजगार मंत्रालय और सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मिलकर सुक्ष्म एवं लघु सेक्टर के लिये एक अलग लेजिस्लेशन की सम्भावनाओं और आवश्यकताओं का जायजा लेकर सेक्टर के लिये केवल एक और व्यापक कानून बनाने की दिशा में काम करेगे। (उल्लेखनीय है कि 11वी पंचवर्षीय योजना के प्लान पेपर में भी सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये श्रम कानूनों के सरलीकरण की संस्तुति की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि सभी सुक्ष्म मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग न्यूनतम वेतन एक्ट के अतिरिक्त सभी श्रम कानूनो से मुक्त किये जाये। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि 100 कर्मचारियों तक एम्पलॉय करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमो के लिये एक अलग और सरल श्रम कानून लागू किया जाये।) उपरोक्त प्रधानमंत्री टास्क फोर्स एवं 11वी पंचवर्षीय योजना की संस्तुतियों को अभी तक लागू नही किया गया है जिन्हे और देरी किये बगैर लागू किया जाना उचित होगा। यदि उपरोक्त संस्तुतियॉ लागू की जाती है तो न केवल सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो का विस्तार होगा बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी इजाफा होगा।

• प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की एक यह भी संस्तुति थी कि लेवर एवं एम्प्लाइमेन्ट मंत्रालय भारत सरकार ई0एस0आई0सी0 और ई0पी0एफ0 अधिनियमों का स्टेक होल्डर्स से परामर्श कर विशलेषण करे जिसमें यह पता लगाये कि इन अधिनियमों के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है अथवा इनके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है।

हमारी जानकारी के अनुसार इस संस्तुति पर भी अभी कियान्वयन लम्बित है हालांकि आई0आई0ए0 का मानना है कि इन अधिनियमों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है जिसके लिये आई0आई0ए0 द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी सुझायी गई है जो नीचे बिन्दु संख्या 5 पर वर्णित है।

• प्रधानमंत्री टास्क फोर्स द्वारा यह भी संस्तुति की गई थी कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो से परामर्श कर फैक्टीज एक्ट 1948 के प्रावधानों में सुधार करने हेतु अपनी संस्तुति प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनेक प्रावधान बहुत ही कठोर एवं डिस्क्रीमिनेटरी है। उदाहरणतयः फैक्टीज एक्ट के अनुसार किसी भी प्राइवेट उद्योग में कुछ भी घटना घटने पर एवं किसी की भी गल्ती होने से दुर्घटना पर सभी निदेशको को उत्तरदायी माना जाता है जबकि सरकारी विभागो अथवा संस्थानो में ऐसा नही होता है।

(ख) <u>लेवर फलेक्सीविल्टि :</u> तेजी से बदलते हुये विजनेश वातावरण में कोई भी उद्योग अपने कर्मचारियों की निष्क्रीयता अथवा कर्मचारियों की अधिकता को सहन नही कर सकता। ऐसे वातावरण में यह आवश्यक है कि कर्मचारियो के साथ–साथ नियोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो। अतः आई0आई0ए0 इस समस्या के लिये निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत करता है :

• श्रमिको को कॉन्ट्रैक्ट पर सप्लाई करने हेतु एजेन्सीयों को कानूनी वैधता प्रदान की जाये जिससे वे एजेन्सियॉ जिस भी अवधि के लिये उद्योग को कर्मचारियों की आवश्यकता हो उसी अवधि के लिये एजेन्सियॉ कर्मचारी उपलब्ध करा सके। इस प्रक्रिया में भले ही उद्यमियों को श्रमिक लेने के लिये कुछ अधिक धन खर्च करना पड़े परन्तु इस व्यवस्था से श्रमिको और नियोक्ताओ दोनो के हित संरक्षित हो सकेगे।

• श्रमिको को मल्टीस्कील्स में प्रशिक्षित करने के लिये सरकार एम0एस0एम0ई0 उद्यमियों को सहायता प्रदान करे जिससे यदि श्रमिक एक कार्य में सरप्लस हो जाता है तो उसकी सेवाये दूसरे कार्य में ली जा सके।

(ग) <u>सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिये अनेक प्रमाण–पत्रो एवं स्वीकृतियो को समाप्त कर केवल एक प्रमाण–पत्र/स्वीकृति को लागू करना :</u> एम0एस0एम0ई0 उद्यमी को अपना उद्यम स्थापित करने के लिये अथवा उसे चलाने के लिये आज विभिन्न विभागो से अलग–अलग प्रमाण–पत्रो, अनापत्तियों तथा स्वीकृतियों आदि के लिये दर–दर भटकना पड़ता है। इसके लिये न केवल उद्यमी का काफी समय जाता है अपितु धन भी खर्च होता है। इसके साथ उद्यमी को अनेक प्रकार की हतासाओं से भी दो–चार होना पड़ता हैं क्योंकि सुक्ष्म एवं लघु उद्यमी को अपने उद्यम के सभी कार्य अकेले ही करने होते है इसलिये यह कार्य करना उसके लिये बहुत कठिन होता है। यद्यपि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था की घोषणाये की है परन्तु यह प्रणाली हमारी जानकारी के अनुसार अधिकतम राज्यों में सुचारू रूप से कार्य नही कर रही है। आशंका यह भी है कि आने वाले समय में भी सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को इस समस्या से छुटकारा नही मिल पायेगा। अतः आई0आई0ए0 का सुझाव है कि किसी भी प्रकार के सुक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये अथवा चलाने के लिये केवल एक कम्पोजिट प्रमाण–पत्र की ही आवश्यकता रखी जाये और यह प्रमाण–पत्र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये उसे बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।

2. <u>सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को स्कील्ड मैन पावर की उपलब्धता :</u>

किसी भी उद्यम के लिये मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। उद्यम की सम्पन्नता एवं विकास के लिये मानव संसाधन की गुणवत्ता और उपलब्धता अत्यन्त आवश्यक है।

सुक्ष्म एवं लघु उद्यम जहॉ एक ओर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है वही मध्यम एवं बड़े उद्योगो के लिये दक्ष कर्मचारी भी उपलब्ध करा रहे है। सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में सामान्यतः अकुशल कर्मचारी ही भर्ती होते है और जब वे काम में दक्ष हो जाते है तब वे बड़े उद्योगो

में नौकरी की तलाश में निकल जाते है जहॉ पर उन्हे नौकरी मिल भी जाती है। इस प्रकार सुक्ष्म एवं लघु उद्योग एक प्रशिक्षण केन्द्र का उत्तरदायित्व भी निभा रहे है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में लघु उद्यमी उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी भी भर्ती नही कर पाते है क्योकि अन्ततोगत्वा वे कुछ समय बाद काम सीख कर बड़े उद्योगो में नौकरी प्राप्त कर लेते है जिनके पास दक्ष लोगो को आकर्षित करने के अच्छे संसाधन उपलब्ध होते है।

अतः सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित तालिका में आई0आई0ए0 के सुझाव प्रस्तुत है।

क्रम स0	**समस्या**	**सुझाव**
1	सर्टिफिकेट प्राप्त बेरोजगार युवक/युवतियॉ बहुत मिलते है परन्तु उद्योगो की आवश्यकतानुसार उन्हे काम नही आता है। देश में संचालित सरकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र उद्योगो की आवश्यकतानुसार मैनपावर तैयार नही कर पा रहे है। यहॉ तक की निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान भी सर्टिफिकेट होल्डर ही तैयार कर रहे है।	व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रो को भी उद्योगो की तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत इन केन्द्रो में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षको या शिक्षको एवं प्रशिक्षुओ के लिये मानक निर्धारित किये जाने चाहिए जिससे इन केन्द्रो से प्रशिक्षण लेकर निकले सर्टिफिकेट होल्डर उद्योगो में सीधे काम पर लगाये जा सके।
2	सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में दक्ष और अनुभवी कर्मचारियों की कमी रहती है क्योंकि सुक्ष्म एवं लघु उद्योग इस प्रकार के कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुसार वेतन देने में सक्षम नही होते। इसके साथ –साथ सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में प्रर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओ का भी अभाव रहता है।	सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में कार्यरत स्कील्ड एवं सेमी–स्कील्ड कर्मचारियों को प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओ की भॉति माना जाये और उन पर श्रम कानून लागू न हो।
3	सुक्ष्म एवं मध्यम उद्यम के लिये दक्ष कर्मचारियों, प्रबन्धन एवं टैक्नीकल मैनपावर को भर्ती करना एवं उन्हे मोटीबेट करके रखना कठिन कार्य है क्योंकि ऐसे लोग सामान्यतः बड़े उद्योगो में नौकरी की तलाश में रहते है। ऐसे में सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो के लिये प्रतिभाशाली कर्मचारियों को भर्ती करना एवं उन्हे टिकाये रखना कठिन कार्य है साथ ही इन उद्यमियों के लिये कम प्रतिभावाले कर्मचारियों को अच्छे मैनेजमेन्ट इस्टीटयूशन्स में ट्रेन्ड करना भी कठिन होता है क्योकि वे इन मैनेजमेन्ट इस्टीटयूशन्स की फीस वहन नही कर पाते।	सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के कर्मचारियों के लिये मैनेजमेन्ट/राष्ट्रीयस्तर के इंस्टीटयूशन्स में टेनिंग फीस पर 75 प्रतिशत की छूट/अनुदान प्रदान किया जाना उचित होगा।

3. **बेरोजगार युवक/युवतियों के लिये मनरेगा के माध्यम से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो में कौशल विकास कार्यक्रम :**

भारत सरकार के मनरेगा कार्यक्रम को यदि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो में रोजगार के लिये विस्तारित किया जाता है तो न केवल इन बेरोजगार युवक/युवतियों को 100 दिनो से भी कही अधिक रोजगार मिलेगा अपितु इन उद्योगो में वे अपने कौशल का विकास भी कर पायेगें जिससे उन्हे मजदूरी के अतिरिक्त उच्च कौशल स्तर का रोजगार भी मिलेगा। देश के 75 लाख सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यदि 2 व्यक्ति प्रति उद्योग लगभग 6 महीने के लिये मनरेगा योजना में अपने उद्योगो में समाहित करते है तो एक वर्ष में 1.5 करोड़ दक्ष व्यक्तियों की फौज खड़ी हो जायेगी। इससे न केवल बेरोजगार युवक/युवतियों को लाभ मिलेगा अपितु सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो में स्किल्ड मैन पावर की कमी भी दूर होगी।

4. **कर्मचारियों एवं प्रबन्धन के बीच प्रोडक्टिव एवं कोआपरेटिव पार्टनरशीप :**

कोई भी उद्यमी अपने प्रोडक्टिव और ईमानदार कर्मचारी को कभी भी खोना नही चाहता। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर में मालिकों और कर्मचारियो के बीच गहरा एवं सीधा रिश्ता बन जाता है और वे अक्सर एक परिवार की तरह कार्य करते है। क्वालिटी सर्किल की प्रक्रिया इस पार्टनरशीप को और भी प्रगाढ़ बनाती है अतः सरकार को चाहिये कि वह सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो में क्वालिटी सर्किल्स चालू करने में निःशुल्क विशेषज्ञ सहायता प्रदान करे।

5. **सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों मे कार्यरत कर्मचारियों के लिये तथा सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिये प्रभावी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू करना :**

कई दशकों से सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेक्टर की दो बड़ी समस्याये जैसी की तैसी बनी हुई है इनमे से एक है सभी कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध न होना और दूसरी है श्रम कानूनो का सरलीकरण न हो पाना। दोनो समस्याये महत्वपूर्ण है और दोनो के प्रभावी समाधान से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा अपितु उद्योगो की समस्याये कम होने से वे अच्छी तरह पनपेगे और नये रोजगार सृजित होगे । दुर्भाग्य से राजनैतिक इच्छा शक्ति एवं समन्वय के अभाव में दोनो समस्याओं पर आज तक ठोस कार्य नही हो सका है। आज भी ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 स्कीमों के अन्तर्गत बहुत कम कर्मचारी लाभ ले पा रहे है। वर्तमान में लागू दोनो ही योजनाऍ कर्मचारियों को लाभ पहुॅचाने के लिहाज से नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिये बहुत कष्टदायी एवं निम्नलिखित रूप से जटिल है :

1. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी जो अपने उद्यम के सभी कार्यो को अकेले ही मैनेज करता है उसके लिये वर्तमान मे लागू सामाजिक सुरक्षा कानूनो से सम्बन्धित सभी दस्तावेजो एवं औपचारिकताओं को विधिपूर्वक पूर्ण करना सम्भव नही है। यदि वह ऐसा कर भी रहा है तो वह अपने उस मूल्यवान समय की कीमत पर कर रहा है जिसे उसको अपने व्यवसाय के संवर्धन एवं विकास में लगाना चाहिए।

2. ई0एस0आई0 योजना के अर्न्तगत कर्मचारियों को पर्याप्त एवं गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाऍ हर जगह उपलब्ध नही हो रही है। ऐसे में कर्मचारी अक्सर ई0एस0आई0 हॉस्पिटल का उपयोग न कर अन्य हॉस्पिटल/डाक्टरों से चिकित्सा करवा रहे है। अतः कर्मचारी और नियोक्त दोनो का ई0एस0आई0 योजना में दिया गया अंशदान व्यर्थ चला जाता है।

3. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो में कार्यरत अधिकतम कर्मचारी अच्छे पढ़े लिखे नही होते है जिससे वे इन सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को समझ भी नही पाते।

4. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों में कर्मचारी अक्सर अपनी जौब जल्दी–जल्दी बदलते रहते है जिससे उनके एवं उनके नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में दिये गये अंशदान नये संस्थान में कन्टीन्यू नही हो पाते यदि उस नये उद्यम में यह स्कीमे लागू नही हो। इसी प्रकार की स्थिति

ठेकेदारों के पास काम कर रहे कर्मचारियों, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो पर भी लागू होती है।

सुझाव : उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि सुक्ष्म एवं लघु उद्यम सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर्मचारियों के लिये एक अलग सरल एवं यूनिफाईड सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाये जिसमें निम्नलिखित मुख्य प्राविधान हो :

1. सुक्ष्म लघु उद्यम सामाजिक सुरक्षा योजना में कर्मचारी एवं उसके परिवार के लिये स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं ग्रेज्यूटी शामिल हो जिसके लिये नियोक्ता को केवल एक ही प्रिमियम सभी आब्लिगेशन के लिये लागू हो।
2. कर्मचारी जैसे ही किसी सुक्ष्म एवं लघु उद्यम में रोजगार प्राप्त करे वैसे ही उसके लिये एक सामाजिक सुरक्षा न0 स्मार्ट कार्ड के रूप में जैसा की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत बी0पी0एल0 परिवारो को दिया जा रहा है उपलब्ध कराया जाये। नियोक्ता इस स्मार्ट कार्ड एकाउण्ट में उपरोक्त सभी सामाजिक सुरक्षा प्राविधानो के लिये सिंगल प्रिमियम जमा करे। इस स्मार्ट कार्ड को इस प्रकार बनाया जाये ताकि इससे कर्मचारी की पहचान भी हो सके और यह स्मार्ट कार्ड पूरे देश में जहॉ कही भी कर्मचारी नौकरी करे उसके साथ चलता रहे और लागू हो।
3. इस नई योजना के अन्तर्गत जो भी ट्रॉजक्शन हो उन्हे एक डेडीकेटेड बैवसाईट पर ऑनलाइन रखा जाये जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मे हो रहा है। इस बेवसाईट पर कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनो इस एकाउण्ट को देख सके तथा ऑपरेट कर सके। नियोक्ता को प्रिमियम जमा करने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
4. ठेकेदारों के पास कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये इस स्मार्ट कोर्ड को अनिवार्य किया जाये।
5. परिस्थितिवश जैसे उद्यम मे सप्लाई आर्डर की कमी/उत्पाद की मॉग में कमी की दशा में नियोक्ता एवं कर्मचारी की सेपरेशन को सरल किया जाये। यह प्राविधान सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में सिकनैश की बहुत अधिक सम्भावनाओं के चलते भी आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि कोई भी नियोक्ता जरूरत पर अच्छे कर्मचारी को खोना नही चाहता है जब तक की वह इस परिस्थिति में न पहुॅच जाये कि वह उसका बोझ वहन करने के काबिल ही न हो।

यह भी आवश्यक है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी जो कि अक्सर स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति होता है और जिसने अपनी तथा अपने परिवार की सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति व्यवसाय में लगा दी होती है और दूसरे बेरोजगार लोगो के लिये रोजगार भी सृजित करता है उसके लिये भी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाये।

उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय से अनुरोध है कि इस पर एक व्यापक स्टडी की जाये। इस स्टडी में आई0आई0ए0 सहभागिता करने के लिये तैयार है।

6. **सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों में डिलेड–पेमेन्ट की समस्या:**

एम0एस0एम0ई0डी0 एक्ट 2006 के चैप्टर 5 में सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों में डिलेड–पेमेन्ट की समस्या के समाधान का प्रावधान है परन्तु इन प्राविधानो का सही ढ़ग से कियान्वयन नही हो रहा है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट है :

क. एक्ट के अन्तर्गत गठित सुक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशल कॉउसिल में केस बहुत कम आ रहे है जो केस उद्यमी लगाते भी है उनके उपर समय से निर्णय नही हो पा रहे है। जबकि एक्ट में प्रावधान है कि 90 दिन के अन्तर्गत केस पर निर्णय हो जाना चाहिए।

ख. अनेक राज्यो में फैसिलिटेशन कॉउसिल की बैठके नियमित रूप से नही हो रही है।

ग. एक्ट की धारा 16 एवं 17 में डिलेड पेमेन्ट पर बैंक रेट से 3 गुना तक व्याज दिलाने का प्रावधान है। यह प्रावधान आमतौर पर लागू नही किया जा रहा है।

घ. सुक्ष्म एवं लघु उद्यमी आमतौर पर अपने इकलौते ग्राहक के खिलाफ फैसिलिटेशन कॉउसिल में केस इस लिये दायर नही करता है क्योकि उसको आगे आने वाले समय में ग्राहक द्वारा उसे सप्लाई ऑर्डर न दिये जाने का बहुत बड़ा खतरा सताता है।

सुझावः उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिये हमारे निम्नलिखित सुझाव है :

क. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार सभी राज्यों मे फैसिलिटेशन कॉउसिल से निरन्तर डाटा एकत्र करता रहे और उसे मंत्रालय की वेवसाईट पर ताजा बनाये रखें। वर्तमान में ऐसा नही हो रहा है।

ख. फैसिलिटेशन कॉउसिल की बैठके प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित करना अनिवार्य किया जाये।

ग. किसी भी डिलेट पेमेन्ट के केस में बैक रेट से 3 गुना व्याज दिया जाना अनिवार्य किया जाये।

घ. एक्ट के प्रावधानों में डिलेट पेमेन्ट दिलवाने के लिये फैक्टरिंग कम्पनियों का प्रावधान किया जाये परन्तु इस प्रकार की फैक्टरिंग कम्पनियों के शुल्क को केवल डिफाल्टर केता से ही दिया जाना निर्धारित हो न की सुक्ष्म एवं लघु उद्यमी से।

7. **बिमार एवं बन्द हो चुके सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिये आसान एक्जिट रूट की आवश्यकता :**

सरकार के ऑकड़ों के अनुसार देश में एक तिहाई से अधिक सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम या तो बन्द हो चुके है अथवा बिमार चल रहे है। यह रोजगार अवसरो, हयुमन एवं फाइनेन्सियल रिर्सोसेस की बहुत बड़ी हानी है । उद्योग का बीमार होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और कोई भी उद्यमी अपने उद्यम को बिमार नही करना चाहता अतः उद्यम का बिमार होना अथवा बन्द होना किसी भी प्रकार से कोई गुनाह नही माना जा सकता। बिडम्बना यह है कि आज देश के कानूनो में ऐसी परिस्थिति में उद्यमी को जेल भेजने के भी प्राविधान है। जो उद्यम पुनर्वासित नही हो सकते उनमें उद्यमी चाहकर भी अनेक जटिलताओं के कारण अपनी लाईबिल्टिंज से न तो छुटकारा पा सकता है और न ही उनको पूर्ण करने की स्थिति में होता है। अतः यह आवश्यक है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी के लिये एक आसान, सम्मानजनक और समयबद्ध एक्जिट रूट की योजना बनाई जाये।

हमारी जानकारी के अनुसार सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों मे कुल एन0पी0ए0 लगभग 5000 करोड़ का है । आई0आई0ए0 का प्रस्ताव है कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने किसानो के लगभग 60 हजार करोड़ रूपये के लोन मॉफ किये है उसी प्रकार सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के एन0पी0ए0 को भी मॉफ कर देना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी संख्या में सुक्ष्म एवं लघु उद्यम फिर से पनपेगे और देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान कर पायेगे।

8. **सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये बैकिंग सुविधाए तथा व्याज दरेः**

यद्यपि विगत वर्षो में उद्योगो को दिये जाने वाले कुल बैक ऋण में वृद्वि हुई है परन्तु सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को बैक ऋण की उपलब्धत 7.8 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गयी है। इसलिये यह आवश्यक है कि बैकों द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिये जाने वाले ऋण की न्युनतम सीमा निर्धारित की जाये। हमारा प्रस्ताव है कि प्रायरटी सेक्टर लेन्डिग का 60 प्रतिशत हिस्सा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये सुरक्षित किया जाये ।

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कोलेटरल फ्री लोन अनेक कारणों से नही मिल पा रहा है। जिनमें एक सबसे बड़ा कारण बैकों की उदासीनता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि सभी बैकों द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो को दिये जाने ऋण बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के ही दिये जाये जब तक कि उद्यमी स्वयं कोलेटरल फ्री लोन न लेना चाहे।

अभी इस प्रकार के कोलेटरल फ्री लोन को देने की सीमा एक करोड़ रूपये है जिसे आज की परिस्थितियों में बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये किये जाने की आवश्यकता है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमारे देश में प्राप्त बैक ऋणो की व्याज दरे बहुत उची है। अतः हमारा सुझाव है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को सभी प्रकार के ऋण अधिकतम 7 प्रतिशत व्याज दर पर उपलब्ध करायी जाये जैसा कि कृषि क्षेत्र के लिये किया जा रहा है।

9. **सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये एन0पी0ए0 मानकः**

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लगातार कैश फ्लो समस्या से जूझते रहते है जिसके चलते समान्यतः वे एन0पी0ए0 हो जाते है । सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अक्सर कच्चा माल उधार पर नही मिलता और तैयार माल कि नगद पेमेन्ट भी नही मिलती। ऐसे में इनका एन0पी0ए0 होना स्वाभाविक है। इसलिए आई0आई0ए0 का प्रस्ताव है कि सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा डिफाल्ट के लिये ग्रेस पिरियड की अवधि दो गुनी कर दी जानी चाहिए।

10. **सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो के लिए अवस्थापना सुविधाएः**

लिब्रलाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन के चलते यह आवश्यक हो गया है यदि हमे अपने देश के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धा में बनाये रखना है तो उन्हें वर्डक्लास अवस्थापना सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी होगी। देश में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारे इस दिशा में प्रयास तो कर रही है परन्तु इसके बाबजूद सुक्ष्म एवं लघु उद्यम अवस्थापना के आभाव को बुरी तरह से झेल रहे है जिससे उनके बिजनेस ऑपरेशन्स एवं विकास की सम्भावनाएँ प्रभावित हो रही है।

अवस्थाना सुविधाओं में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को औद्योगिक भूमि, परिवहन सुविधाएँ अवाध विद्युत आपूर्ति प्रयाप्त मात्रा में पानी की सप्लाई, डैनेज सिस्टम, कॉमन एफलूएण्ट प्लाटं, सही स्टीट लाइटे, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर्स, प्राडक्ट डिस्प्ले सेन्टर्स और टेस्टिंग प्रयोगशालाओं इत्यादि की आवश्यकता होती है इनमें से किसी भी सुविधा की कमी उद्यम के वैल्यू चेन प्रोसेस यथा प्रोडक्ट के उत्पादन और वितरण को प्रभावित करती है।

सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियों की कुछ मुख्य समस्याये एवं उनके समाधान निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः

क्रम स0	समस्या	सुझाव
1	ग्रामीण क्षेत्रों में सुक्ष्म एवं लघु उद्यम् बहुत बड़ी संख्या मे स्थापित है जो लगभग सभी प्रकार के अवस्थापना सुविधाओं के आभाव को झेल रहे है।	ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के क्लस्टरो को अवस्थापना सुविधाये उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों को स्पेशल फण्ड का प्राविधान करना चाहिए। जब तक इन उद्यमों को अबाध बिद्युत सप्लाई उपलब्ध नही हो पाती तब तक इन्हें सोलर पावर सिस्टम अथवा डीजल जनरेटिंग सेट लगाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना उचित होगा।
2	उद्योग निदेशालयों एवं राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये है जिनमें अवस्थापना सुविधाओं का बहुत आभाव है इन औद्योगिक क्षेत्रों मे कुछ क्षेत्र खासतौर	भारत सरकार इस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं को ठीक करने के लिये राज्य सरकारों को वन टाईम ग्रान्ट प्रदान करें। इस ग्रांट को औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं

	पर सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो के लिये ही बनाये गये है जिनकी हालत और भी गंभीर है।	के विकास के लिये स्थानीय उद्यमियो द्वारा गठित स्पेशल परपस व्हीकल के माध्यम से खर्च किया जायें। एक बार जब अवस्थाना सुविधाये ठीक प्रकार से सृजित हो जाये तो उसके बाद इन औद्योगिक क्षेत्रो का रखरखाव उद्यमियों से वसूल किये जा रहे मेन्टिनेन्स टैक्स से किया जा सकता है।
3	राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा सजित किये जा रहे नये औद्योगिक क्षेत्रो में सुक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिये अलग से प्लाट एरियाज ईयरमार्क नही किये जाते।	हमारा सुझाव है कि प्रत्येक नये सृजित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 45 प्रतिशत भूमि सुक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिये आरक्षित की जाये ।
4	सुक्ष्म एवं लघु उद्यम आमतौर पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन राज्य/ राष्ट्रीय/ अतंराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले एक्जिविशन में नही कर पाते।	इस सम्बन्ध में वर्तमान में लागू योजनाओं को रिव्यू किया जाना चाहिए जिससे सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को लिब्ररल सहायता प्रदान की जा सके।
5	सुक्ष्म एवं लघु उद्यमो के लिये कॉमन फैसिलिटी सेन्टर का आभाव।	वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित कॉमन फैसिलिटी सेन्टर्स, टैस्टिंग और क्वालिटी कन्टोल फैसिलिटी को एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशन के साथ मिलकर चलाया जाये। इस प्रकार के नये सेन्टर पी0पी0पी0 मोड में एम0एस0एम0ई एसोसिएसनों के साथ मिलकर स्थापित किये जाये। देश में तकनीकी संस्थानों का पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में बहतु बड़ा जाल बिछा हुआ है। इन तकनीकी संस्थानों में स्थापित मशीनों और उपकरणो का पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नही हो पाता है। इन तकनीकी संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं को भी सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिये कॉमन फैसिलिटी सेन्टर्स के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
6	औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफलूएण्ट ट्रिटमेन्ट सुविधाओं का आभाव तथा अकेले उद्यमी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्लांट की स्थापना में अत्यधिक कठिनाईयॉ।	औद्योगिक क्षेत्रो का निमार्ण करने वाली एजेन्सियों को अथवा पाल्यूशन कन्टोल बोर्ड अथवा सरकार को सभी औद्योगिक क्षेत्रो में कॉमन एफल्यूएण्ट ट्रिटमेन्ट प्लाट स्थापित करने चाहिए जिसमें प्रत्येक उद्योग का एफल्यूएण्ट ट्रीट हो सके। इस सुविधा के लिये उद्यमियों से यूजेज चार्जेज लिये जा सकते है।

7	केन्द्र एवं राज्य सरकारे होमोजिनियस क्लस्टर विकास के लिये काफी काम कर रही है परन्तु देश में अनेक स्थानों पर अलग – अलग प्रकार के उद्यम एक ही स्थान पर स्थापित है जिनके लिये क्लस्टर विकास योजना उपलब्ध नही है।	हिटरोजिनियस इण्डस्टी क्लस्टर के लिये भी क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू किये जाने चाहिए।
8	आयात तथा निर्यात अवस्थापनाओं की कमी।	सरकारी एजेन्सीयों जैसे कस्टम्स इत्यादि को सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो को साल के सभी दिनों में 24 घण्टे सेवाये प्रदान करनी चाहिए। सभी एक्सपोर्ट एरियाज में पर्याप्त आई0सी0डी0 सुविधाये उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
9	औद्योगिक क्षेत्रों के लिये किसी भी प्रकार के मानक लागू नही है।	औद्योगिक क्षेत्रो के विकास एवं रखरखाव के लिये मानक निर्धारित किये जाने चाहिए और यह कार्य क्यू0सी0आई0 को देकर प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिये रेटिग सिस्टम लागू किया जाये।

11. सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो के लिये टैक्नोलॉजी की उपलब्धता :

ग्लोवलाइजेशन से जहॉ एक ओर सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो के लिये अनेक सम्भावनाओं के द्वारा खुले है वही नई चुनौतियॉ भी उनके सामने खड़ी हो गई है इनमें से एक चुनौती टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एवं उसके उपयोग से सम्बन्धित है जिससे सुक्ष्म एवं लघु उद्योग एफीसेन्ट एवं और अधिक प्रोडक्टीव बन सके।

टैक्नोलाजी से सम्बन्धित कुछ मुख्य समस्याये जिनका सामना सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो को करना पड़ रहा है तथा उनके प्रस्तावित समाधान निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है :

क्रम स0	समस्या	सुझाव
1	**नई टैक्नोलॉजी के बारे में जानकारियों का आभावः** केन्द्र एवं राज्य सरकारो द्वारा अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आर0 एण्ड डी0/ टैक्नोलॉजी संस्थान काफी संख्या में देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये है जैसे एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय द्वारा टैक्नोलॉजी डब्लपमेन्ट सेन्टर/ एम0एस0एम0ई0 डब्लपमेन्ट संस्थान, सांईस एवं टैक्नोलॉजी मंत्रालय भारत सरकार की टैक्नोलॉजी इन्फारमेशन फोरकास्टींग एवं एसेस्मेन्ट काउंसिल, नेशनल मेन्युफैक्चरिंग कम्पटीटीवनेश प्रोग्राम और अन्य राष्टीय स्तर के आर0 एण्ड डी0 इंस्टीटयूशन इत्यादि। इन संस्थानो द्वारा विकसित की	• इंडस्ट्री और इंस्टीटयूशन के बीच इन्टरेक्शन को बढ़ाया जाये। • इन संस्थानों की गवर्निंग बाडी में एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो के भी सदस्य नामित किये जाये। • टैक्नोलॉजी की उपलब्धता पर संस्थानों एवं एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों द्वारा समय–समय पर सॉझा कार्यक्रम आयोजित किये जाये। • टैक्नोलॉजी डब्लपमेन्ट एवं संस्थानों द्वारा उनके द्वारा ईजाद की गई नई टैक्नोलॉजी को एम0एस0एम0ई0

	जा रही टैक्नोलॉजी सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियों तक सरलता से नही पहुँच पा रही है।	एसोसिएशनों की न्यूज मैगजीन के माध्यम से विज्ञापित किया जाये। • नई टैक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिये सॉफ्ट लोन की व्यवस्था की जाये।
2	यद्यपि टैक्नोलॉजी व्यूरों ऑफ स्माल एण्टरप्राईजेंज वर्ष 1995 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि यह संस्थान टैक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने तथा उसे ट्रॉसफर तथा उपयोग करने के लिये लघु एवं मध्यम उद्योगो की सहायता करेगा। परन्तु इस संस्थान की डिलेवरी अभी सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं से कही दूर है।	टैक्नोलॉजी व्यूरो आफ स्माल एण्टरप्राइजेज को अपने यहॉ एक टैक्नोलॉजी बैंक की स्थापना करनी चाहिए और इन टैक्नोलॉजीज को सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो द्वारा एडॉप्ट करने के लिये अन्य जरूरी सेवाऍ जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, प्रोजेक्ट का ईवैल्युवेशन, रिस्क एसेस्मेन्ट तथा रिस्क से बचने के उपाय प्रदान करने चाहिए। यह कार्य टैक्नोलॉजी व्यूरो ऑफ स्माल एण्टरप्राइजेज एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों क साथ ज्वाइंट वैन्चर कर अच्छी तरह निभा सकता है।
3	विश्वनीय, अपटूडेट एवं लागू की जा सकने वाली प्रोजेक्ट प्रोफाइल एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनउपलब्धता।	सभी टैक्नोलॉजी डब्लपमेन्ट केन्द्रों अथवा संस्थानों को लागू की जा सकने वाली टैक्नोलॉजी से सम्बन्धित प्रोजेक्ट प्रोफाइल एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिन्हे वे समय–समय पर अपडेट करते रहे। इस प्रकार की प्रोफाइल्स एवं रिपोर्टस को एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशन्स के साथ शेयर किया जाये। आई0आई0ए0 द्वारा इस प्रयोजन के लिये एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एम0एस0एम0ई0 डाटा सेन्टर स्थापित करने की योजना बना ली है जिसमें इस प्रकार के प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को संकलित कर सुक्ष्म एवं लघु उद्यमियो को ऑनलाईन उपलब्ध कराया जा सकता है।
4	आर0 एण्ड डी0 एवं टैक्नोलॉजी संस्थान सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में जाकर टैक्नोलॉजी तथा उनकी टैक्नोलॉजी की आवश्यकता का ऑकलन करने अक्सर नही जाते है।	आर0 एण्ड डी0 एवं टैक्नोलॉजी संस्थानों को सुक्ष्म एवं लघु उद्योगो में जाकर उनकी प्रोडक्टीविटी और क्वालिटी से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

12. <u>टैक्नोलॉजी इनोवेशन फण्ड:</u>

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को देश एवं विदेश में टैक्नोलॉजी एक्सपोज़र प्रदान करने के लिये सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार में कम से कम 100 करोड़ रूपया प्रति वर्ष का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस फण्ड के माध्यम से एम0एस0एम0ई0 उद्यमियों को अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय टैक्नोलॉजी मेलो मे जाने के लिये सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना का नाम टैक्नोलॉजी डब्लपमेन्ट एसेसटैन्स रखा जा सकता है। स्कीम की सफलता का ऑकलन करते हुए आने वाले वर्षो में इस फण्ड का आकार इस प्रकार बढ़ाया जाये कि देश के कम से कम 1 प्रतिशत सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमी इससे लाभान्वित हो सके।

13. <u>सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबर्धन के लिये प्रयाप्त मात्रा में तथा एफीसियेन्ट इन्कुवेशन फैसिलिटीज की स्थापना करना:</u>

देश में एम0एस0एम0ई0 के संवर्धन एवं विकास के लिये इन्कुवेशन फैसिलिटीज का कॉसेप्ट लम्बे समय से लागू है। परन्तु यह प्रयास अभी काफी नही है। इन सुविधाओं का ऑकलन कर नये उद्यमियो की आज की आवश्यकताओं एवं मॉग के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

14. <u>राज्य स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रो में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं एवं मानवसंसाधन को कारगर तरीके से एम0एस0एम0ई0 के उत्थान के लिये उपयोग किया जाना:</u>

- जिला उद्योग केन्द्रो के उत्तरदायित्यो को पुनः इस प्रकार परिभाषित करने की आवश्यकता है जिससे उनका मुख्य कार्य उद्योगो के फैसिलिटेटर का हो। इन केन्द्रो द्वारा सम्बन्धित जिलो में उद्योगो से सम्बन्धित स्टडीज एवं सर्वे तथा डेटा कलैक्शन और अपडेटिंग का कार्य निरन्तर किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में तैयार दस्तावेज और डेटा को लगातार ऑनलाईन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- जिला उद्योग केन्द्रो को एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों के साथ ज्वांइट वैन्चर के रूप में चलाया जाना चाहिए। प्रयोग के रूप में कुछ जिला उद्योग केन्द्रो को एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो को आउटसोर्स कर देना चाहिए। ऐसा करने से एक कम्टीशन का वातावरण बनेगा जिससे इन केन्द्रो के काम काज में गुणात्मक सुधार आयेगा।
- जिला उद्योग केन्द्रो मे उपलब्ध भूमि और अवस्थापना सुविधॉए अक्सर बेकार पड़ी रहती है हमारा सुझाव है कि यह भूमि एवं अवस्थापना सुविधॉए एम0एस0एम0ई0 को कॉमन फैसिलिटी सेवॉए प्रदान करने के लिये उपयोग की जायें।

15. <u>भारत सरकार की पब्लिक पर्चेज पॉलिसी का प्रभावी इम्पलीमेन्टेशन :</u>

प्रधानमंत्री द्वारा गठित एम0एस0एम0ई0 टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुसार भारत सरकार ने अप्रैल 2012 में पब्लिक प्रक्योमेन्ट पॉलिसी की घोषणा की है इस पॉलिसी को लागू हुये 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार इस पॉलिसी का लाभ सुक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उस हद तक नही हो रहा है जैसा प्रस्तावित है।

इस पॉलिसी में यह भी प्रस्तावित था कि देश में विभिन्न राज्य सरकारें भी सम्बन्धित सरकारी विभागों एवं उपक्रमों के लिये इसी प्रकार की पॉलिसी घोषित करें। हमारी जानकारी के अनुसार यह कार्य भी अभी लम्बित है।

हमारा यह भी सुझाव है कि इस पॉलिसी के अन्तर्गत सेवा एवं मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के उद्यमों के लिये अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाये। आई0आई0ए0 का प्रस्ताव है कि कुल 20 प्रतिशत खरीद में से 15 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग उद्यमों से और बाकि 5 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से की जाये।

16. <u>बजट 2014–15 के लिये आई0आई0ए0 के प्रस्ताव :</u>

आई0आई0ए0 द्वारा माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को आगामी बजट के लिये अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है जिसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से भी प्रेषित की गई है। निवेदन है कि आई0आई0ए0 के प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अपनी फेवरेवल टिप्पणी के साथ भेजा जाये।

17. <u>एम0एस0एम0ई0 एसोसिशनों की कैपसिटी विल्डिग एवं एम0एस0एम0ई0 के उत्थान में उनकी भागीदारी:</u>

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों तक पहुॅचाने तथा उन्हे इम्पलीमेन्ट कराने के लिये एम0एस0एम0ई0 संगठन देश में अच्छा कार्य कर रहे है इसके साथ ही एम0एस0एम0ई0 संगठन सरकार को उपयोगी जानकारियॉ भी उपलब्ध करा रहे है जिससे व्यवहारिक योजनाओं का सृजन होता है। क्योकि एम0एस0एम0ई0 संगठनों के पास धन का आभाव रहता है इसलिए यह आवश्यक है कि इन संगठनों की कैपसिटी विल्डिग में सरकार योगदान दे जो निम्नलिखित तरीके से सम्भव हो सकता है:

- एम0एस0एम0ई0 डब्लपमेन्ट संस्थानो की गर्वनिग वॉडीज में एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- एम0एस0एम0ई0 संगठनों द्वारा स्थापित किये जाने वाले एम0एस0एम0ई0 डिस्पले सेन्टर्स एवं एम0एस0एम0ई एक्जीविशन फैसिलिटीज सृजित करने के लिये सहायता प्रदान किया जाना।
- विगत में एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एम0एस0एम0ई0 कैपसिटी विल्डिग कार्यक्रम का पुर्ननिरिक्षण कर इसे और अधिक प्रभावी बनाना।

18. <u>नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0 में पंजीकरण को और उपयोगी बनाना:</u>

नेशनल स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि0 में पंजीकृत उद्योगो को डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा मान्यता प्राप्त नही है अतः सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो को डी0जी0एस0 एण्ड डी0 में अलग से पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकारो के विभाग एन0एस0आई0सी0 रजिस्ट्रेशन को इसके उद्देश्यों के अनुरूप मान्यता प्रदान नही करते। हमारा सुझाव है कि एन0एस0आई0सी0 का पंजीकरण सभी विभागो द्वारा माना जाना अनिवार्य किया जाये।

यह भी उल्लेखनीय है कि एन0एस0आई0सी पंजीकरण में कुछ अनावश्यक बाधॉए उद्यमियों को झेलनी पड़ रही है। इन बाधॉओं को एम0एस0एम0ई0 एसोसिएशनो के साथ परामर्श कर दूर किया जाना चाहिए।

19. <u>सांसद निधि का एम0एस0एम0ई0 इन्फ्रास्ट्क्चर डब्लपमेन्ट में उपयोग :</u>

हमारा प्रस्ताव है कि देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में एम0एस0एम0ई0 के योगदान को ध्यान में रखते हुए सांसद निधि की कम से कम 15 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित क्षेत्रों में एम0एस0एम0ई0 के लिये अवस्थापनाओ पर खर्च किया जाये।

20. <u>सौर ऊर्जा का एम0एस0एम0ई0 में उपयोग के लिये प्रोत्साहन:</u>

देश में बिजली की अनुउपलब्धता को देखते हुये सौर ऊर्जा का उपयोग एक अच्छा विकल्प है। परन्तु सौर उर्जा संयंत्रो की प्रारम्भिक कीमत बहुत अधिक होने के कारण एम0एस0एम0ई0 उद्यमी इसे उपयोग में नही ला पा रहे है। यद्यपि सौर उर्जा के उपयोग के लिये भारत सरकार कुछ सहायता प्रदान करती है परन्तु यह सहायता एक तो आसानी से उपलब्ध नही होती और दूसरे न काफी भी है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये हमारा सुझाव है कि भारत सरकार की योजना के साथ–साथ

एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय भारत सरकार मे एक सोलर फण्ड सृजित किया जाये जिसमें से एम0एस0एम0ई0 को व्याज मुक्त ऋण सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिये उपलब्ध कराया जाये। इस प्रकार एम0एस0एम0ई0 द्वारा स्थापित सोलर पावर संयंत्रो से उत्पादित बिजली को नैट मीटरिंग पद्वति से पावर ग्रीड के साथ जोड़ा जाये।

———————————